(राजस्थान सरकार)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 261/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/696

1. इमरती देवी जयसिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.............................. वादी

बनाम

1. चेतन पुत्र बजरंग लाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

........................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

**दावा बाबत– खाता विभाजन एवं घोषणात्मक**

**–:निर्णय:–**

दिनांक :–5.12.24.

**(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–**

1. यह कि वाके ग्राम ढ़ाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 146 के ख0 न0 668 रकबा 1.39 है0 में वादीया व प्रतिवादी सख्या 1 दर्ज है जिसमें वादीया का हिस्सा 62/139 व प्रति0 स0 1 का हिस्सा 77/139 दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि में वादीयाय व प्रति0 स0 1 अपने अपने हिस्से पर कब्जा कास्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।
3. यह कि वादीया अपनी भूमि का सुधार कार्य व भूमि रूपान्तरण करवाने के लिए खाता विभाजन करवाना चाहती है जिसके लिए प्रतिवादी स0 1 से किया तो प्रति0 स0 1 द्वारा खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तो वादीया के लिए आवश्यक हो जाता है कि दावा खाता विभाजन पेश करे।

**अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–**

(क). कि वाके ग्राम ढ़ाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज. स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 146 के ख0 न0 668 के रकबा 1.39 है0 में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज है जिसमें वादीया का हिस्सा 26/139 का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 06.02.2023 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.02.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 300 दिनांक 16.07.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1960 दिनांक 01.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 146 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–ःआदेशः–

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 146 के ख0 न0 668 रकबा 1.39 है. में वादीया का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 5/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

# मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 261 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 696

इमरती बनाम चेतन आदि

**दावा बाबत– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

<u>–:निर्णयः–</u>

वादी की ओर से **श्री विकास शर्मा एडवोकेट** की उपस्थिती व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

**" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 146 के ख0न0 668 रकबा 1.39 है. में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 5/12/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)